न्यायालय- अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-चतुर्थ, सहारनपुर

मुकदमा अपराध संख्या - 115 / 2026

सरकार बनाम जयकुमार

<u>आदेश</u>

प्रार्थी **पिंकू** के द्वारा मु०अ०सं०- 115 / 2026**,** धारा- 281, 106(1), 125(बी) बीएनएस, थाना- रामपुर मनिहारन, जिला- सहारनपुर के मामले में निरुद्ध वाहन पंजीकरण संख्या **HR02AY8514** का पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा वाहन के **स्थायी पंजीयन** प्रमाण पत्र की मूल एवं छायाप्रति, वाहन के तकनीकी परीक्षण की मूल एवं छायाप्रति तथा वाहन के इन्श्योरेन्स प्रमाण पत्र की छायाप्रति आदि दस्तावेज दाखिल किये गये हैं।

उक्त प्रार्थना पत्र पर थाने से आख्या आहूत की गयी। थाने की आख्या के अनुसार प्रश्नगत वाहन उक्त मामले में थाना स्थानीय में खड़ा है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत वाहन **पंजीकरण संख्या - HR02AY8514** उक्त मामले में थाना- **रामपुर मनिहारन** में निरुद्ध है। वाहन का तकनीकी परीक्षण हो चुका है एवं धारा 203 ए एम.वी. एक्ट की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। वाहन के थाने में निरूद्ध रहने से उसके खराब होने की संभावना है। **पंजीयन प्रमाण** पत्र के अवलोकन से विदित है कि प्रश्नगत वाहन प्रार्थी **पिंकू** के नाम पर पंजीकृत है। आवेदक **पिंकू** ही प्रश्नगत वाहन का स्वामी है। प्रश्नगत वाहन के रिलीज के संबंध में अन्य कोई दावेदार न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं है। अतः वाहन को माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **''सुन्दर भाई अम्बालाल देसाई बनाम स्टेट ऑफ गुजरात 2003(1) जे०आई०सी० (एस०सी०)''** के प्रकाश में निम्न शर्तों के अधीन आवेदक **पिंकू** के पक्ष में अवमुक्त किया जाता है ।

1- आवेदक मु०- 60,000/- **(साठ हजार रुपये)** का निजी मुचलका व समान धनराशि का एक जमानत दाखिल करेगा।

2- आवेदक इस आशय की अण्डरटेकिंग दाखिल करेगा कि दौरान मुकदमा वह वाहन का रंग रूप परिवर्तित नहीं करेगा तथा वाहन को किसी अन्य के पक्ष में अन्तरित नहीं करेगा।

3- न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर वह वाहन को अपने खर्च पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

संबंधित विवेचक/थानाध्यक्ष द्वारा सुपुर्दगीनामा तैयार कर उस सुपुर्दगीनामा पर आवेदक के हस्ताक्षर कराने, सुपुर्दगीनामा में रिलीज किये जाने वाले वाहन का विवरण अंकित कर सभी कोणों से आवेदक के खर्चे पर वाहन का रंगीन फोटो तैयार कर (जिसमें वाहन का इन्जन नम्बर व चैसिस नम्बर का मिलान करने के बाद) उपरोक्त वाहन यदि किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो आवेदक की सुपुर्दगी में दिया जाये।

दिनांकः 18.05.2026

प्रभारी ए.सी.जे.एम – चतुर्थ
सहारनपुर